तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1803/2005/भीलवाडा</u>** **गोपाल लाल व अन्य बनाम श्रीमती रतन देवी व अन्य**	

<u>एकल–पीठ</u>

श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक अप्रार्थीगण

(3) श्री शंकर लाल चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक : 27.11.2019</u>**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 10–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में एक नियमित वाद, वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 2–12–2004 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1व 2 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–2–2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 2–12–2004 को निरस्त कर दिया साथ ही वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार हस्तान्तरण अथवा रूपान्तरण नहीं करने बाबत प्रार्थीगण को पाबन्द किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1803/2005/भीलवाडा</u>** **गोपाल लाल व अन्य बनाम श्रीमती रतन देवी व अन्य**	
	बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने सोहन लाल की विरासत जो वसीतय के आधार पर है उसके बारे में पारित नामान्तरकरण को अपने निर्णय का आधार बनाया है जबकि वसीयत जो प्रार्थीगण के नाम सम्पति प्रदान करने बाबत थी उसकी पालना में नामान्तरकरण आदेश पारित हुये जिसमें प्रार्थीगण की माता का नाम अंकित कर दिया गया। यद्यपि माता का नाम अंकित करना गलत है परन्तु यह विवाद प्रार्थीगण एवं उनकी माता के मध्य हो तो इस बारे में विवेचन सुसंगत हो सकता है परन्तु इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 व2 का प्रकरण किस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है यह किसी भी प्रकार से न्यायिक सोच पर आधारित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। विवादित भूमि के खातेदार सोहन लाल थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार एक खातेदार को वसीयत करने का पूरा अधिकार है एवं खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में जो वसीयत निष्पादित की गई है,उक्त वसीयत के विद्यमान रहने अप्रार्थी संख्या 1व2 का किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं माना जा सकता है एवं अभिलिखित खातेदार को किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता सोहन लाल के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित रही है और सोहन लाल को भी उक्त आराजी उनके पूर्वजों से पुश्तैनी प्राप्त हुई है। सोहन लाल के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी पर उनके सभी कानूनी वारिसों को बराबर का अधिकार है। उनको अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1803/2005/भीलवाडा</u>** **गोपाल लाल व अन्य बनाम श्रीमती रतन देवी व अन्य**	
	वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन,अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त आराजी सोहन लाल के खातेदारी की है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सोहन लाल की पुत्रियां है,इस बाबत कोई विवाद नहीं है। सोहन लाल के फौत होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3के पक्ष में स्वीकार किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी संख्या 1व2 को भी सजरे में अंकित किया है और नामान्तरकरण में भी उनका नाम दर्ज किया किन्तु पत्नी की सहमति के आधार पर नामान्तरकरण केवल सोहन लाल के दोनों पुत्र एवं पत्नी के नाम स्वीकार किया गया है। यदि वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला जाता है तो पत्नी का नाम अंकित नहीहं होना चाहिये था और यदि विरासत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है तो पुत्रियों को माता के कहने मात्र से कानूनी अधिकार से वंचित नहीं माना जा सकता है। खातेदार मृतक सोहन लाल की पुत्रियां होने से वादग्रस्त आराजी में उनका प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। हालाकि अंन्तिम रूप से अधिकार मूल वाद में विधि एवं साक्ष्य के द्वारा तय होने हैं। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद के निर्णय तक वादस्ग्रस्त आराजी के हस्तान्तरण एवं रूपान्तरण नहीं करने बाबत जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधिक सम्मत है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 8– अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1803/2005/भीलवाडा</u>** **गोपाल लाल व अन्य बनाम श्रीमती रतन देवी व अन्य**	